UPPG120017002019

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।
मूलवाद संख्या 433/2019
रामसेवक——————**बनाम**——————ग्राम सभा आदि।

<u>दिनांक—28.07.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को वाद बिन्दु संख्या 3 पर विस्तारपूर्वक सुना गया।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या—3</u>

प्रस्तुत वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है? इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि वर्तमान वाद स्थायी निषेधाज्ञा योजित किया गया है। जिसमें वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का मूल्यांकन बाजार भाव के आधार पर किया गया है। पत्रावली पर मौजूद आयुक्त आख्या का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित है कि वादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण आदि मौजूद नहीं है। ऐसी दशा में न्यायालय के मत में वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन पर्याप्त है। अतः वाद बिन्दु संख्या 3 वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वाद बिन्दु संख्या—3 वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4 हेतु दिनांक 23.09.2022 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0),
लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2022.07.28 16:31:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court